संख्या ——— /3(150)/XXVII(1)/2018

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2.समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग – 1 देहरादून, दिनांक 17 दिसम्बर, 2018

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये प्रथम अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिशानिर्देश।

महोदय,

कृपया वर्ष 2018–19 के प्रथम अनुपूरक मांगों एवं तत्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम–2018 पारित होने के फलस्वरूप प्रथम अनुपूरक मांग की धनराशियाँ निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. अनुपूरक बजट के मानक मद–01, 03, 06 तथा निम्नलिखित मदों हेतु प्रावधानित धनराशि को प्र0वि0 अपने स्तर से आवश्यकतानुसार निर्गत कर सकेंगे:–

1. अनुदान सं0–13, के लेखाशीर्षक–2215–01–101–05–12–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता।
2. अनुदान सं0–27, के लेखाशीर्षक–2406–01–101–05–वनों की अग्नि से सुरक्षा (राज्य सेक्टर)।

3. सी0एस0एस0, ई0ए0पी0, एस0पी0ए0–आर0 व नाबार्ड हेतु प्रावधानित धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश सं0–519 दिनांक 02.04.2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार निर्गत की जायेगी।

4. उक्त के अतिरिक्त समस्त प्रकार की वित्तीय स्वीकृतियां वित्त विभाग की सहमति से ही जारी की जायेंगी। प्र0वि0 यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक के सम्बन्धित मद में प्रावधानित बजट के पूर्ण उपयोग के पश्चात् ही अनुपूरक में प्रावधानित बजट की स्वीकृति से सम्बन्धित प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित करेंगे।

Scanned by CamScanner